TRI के नो एक्सक्यूज अभियान में लैंगिक हिंसा के खिलाफ 16 दिनों तक सक्रियता से आवाज उठाई वकील फ्लाविया एग्नेस, जमीनी कार्यकर्ता तानिया खान और कार्यकर्ता प्रभलीन तुतेजा ने एक सशक्त वर्चुअल सत्र में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के साथ संवाद किया।

संयम भारत संवाददाता

प्रयागराज। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (ळ्फ्क) ने एक वर्चुअल सत्र #नो एक्सक्यूज - रूरल यूथ स्पीक आउट का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं ने प्रणालीगत लैंगिक आधारित हिंसा (ऋ्श) पर चर्चा की और अपने अनुभव साझा किए। इस सत्र में अभिनेत्री पद्मप्रिया, महिलाओं के अधिकारों की वकील फ्लाविया एग्नेस और सामाजिक न्याय कार्यकर्ता प्रभलीन टुटेजा ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम में देशभर के ग्रामीण प्रतिभागियों और युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड से लोग शामिल हुए, जो ळ्फ्क के युवा संसाधन केन्द्र और नारी अधिकार केंद्रों के माध्यम से जुड़े थे। ळ्फ्क ने यह संवाद सत्र लैंगिक आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिनों की सक्रियता के तहत आयोजित किया, जो एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय नागरिक समाज द्वारा संचालित अभियान है। यह अभियान 25 नवंबर को बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस से शुरू होता है और 10 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस पर समाप्त होता है। वर्चुअल संवादों ने इस बात पर भी जोर दिया कि लैंगिक आधारित हिंसा (ऋ्श) के कारण पीड़ितों पर लंबे समय तक पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। इसने ऐसी नीतियों की आवश्यकता पर भी बल दिया, जो पीड़ितों के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राथमिकता दें, तथा यह सुनिश्चित करें कि वे हाशिए पर न चले जाएं। अभिनेत्री पद्मप्रिया ने कहा, हृसुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करना केवल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह पूरे सिस्टम को बदलने के बारे में है,

जिसमें संस्कृति भी शामिल है, जिसे बदलने की जरूरत हैह्न। ब्लेसी की 'काज्चा' के साथ मलयालम सिनेमा में डेब्यू करने के बाद, अभिनेता ने 2017 के अभिनेता हमले के मामले के बाद वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने मॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। पद्मप्रिया सहित मलयालम सिनेमा में महिलाओं के प्रयासों से हेमा समिति का गठन हुआ, जिसने उद्योग में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को उजागर किया। महिला अधिकारों की वकील फ्लाविया एग्नेस ने कहा, "आज महिलाओं के लिए कई अधिकार हैं - यह महिलाओं के आंदोलनों द्वारा रखी गई मांगों की बदौलत संभव हुआ है। हालांकि, हमने महसूस किया है कि केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं, इसके साथ जागरूकता भी जरूरी हैह्न। ळ्फ्क में लिंग, समावेशन और विविधता की वरिष्ठ प्रैक्टिशनर सीमा भास्करन ने इस तरह की महत्वपूर्ण बातचीत के लिए मंच बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हृयह ळ्फ्क के कई सत्रों में से एक है, जहां हम कठिन लेकिन जरूरी मुद्दों को सामने लाकर उन पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ताकि वास्तविक बदलाव लाया जा सके। ऑनलाइन और ऑफलाइन यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, महिला नेताओं ने लैंगिक आधारित हिंसा (ऋ्श) को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। ळ्फ्क और अधिक वीडियो अभियान शुरू करने, स्थानीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जानकारी साझा करने और गांव के स्तर पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, यह ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के लिए व्यावहारिक सुझावों से सशक्त बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करे